नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाऐं तथा एसडीआरएफ, मुख्यालय छत्तीसगढ़
सेक्टर–19, नवा रायपुर अटल नगर
–:: भर्ती विज्ञापन ::–

क्रमांक/ 713 /स्था–3/भर्ती/2025 रायपुर दिनांक 12/06/2025

छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल तृतीय श्रेणी अराजपत्रित कार्यपालिक सेवा भर्ती नियम एवं पदोन्नति नियम, 2017 के तहत अग्निशमन विभाग में रिक्त पदों की पूर्ति हेतू छ0ग0 के स्थानीय निवासी उम्मीदवारों से छत्तीसगढ़ अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा की वेबसाईट https://cghgcd.gov.in पर दिनांक **01.07.2025** से ऑन लाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। मेनुअल अथवा डाक से भेजे जाने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। भर्ती प्रक्रिया रायपुर छत्तीसगढ़ में सम्पन्न की जावेगी।

01–प्राधिकार (1) छ0ग0 शासन, गृह विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 13–02/दो–गृह/न.से./2022 दिनांक 26.03.2024

02– **रिक्त पदों का विवरण**

टीपः– अभ्यर्थी उपरोक्त में से किसी एक पद के लिये आवेदन कर सकेंगे एक से

क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियां की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियां की वर्गवार संख्या में से नगर सैनिकों के लिए आरक्षित पद				योग	वेतन मैट्रिक्स लेबल
		अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा	अ.ज.जा.	अ.पि.व.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
01	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	9	2	7	3	2	–	2	–	–	–	–	–	2	–	1	–	21	7
02	वाहन चालक	6	2	4	2	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	1	–	14	4
03	वाहन चालक कम ऑपरेटर	36	10	28	12	10	3	8	3	3	1	2	1	9	2	7	3	86	4
04	फायर मेन	49	14	38	16	14	4	11	4	4	1	3	1	12	3	9	4	117	4
05	स्टोर कीपर	13	4	10	5	3	1	3	1	1	–	1	–	3	1	2	1	32	4
06	मैकेनिक	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	02	4
07	वाचरूम ऑपरेटर	8	2	6	3	2	–	1	–	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								19	4
08	वायरलेस ऑपरेटर (संविदा)	2	–	1	1	–	–	–	–	यह पद तीन वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले प्रशिक्षित नगर सैनिकों से भरा जावेगा।								04	एकमुश्त मासिक संविदा वेतन
																	योग	295	

अधिक पदों के लिये आवेदन मान्य नहीं होगा।

03– **ऑनलाईन आवेदन भरने की प्रारंभिक तिथि – 01.07.2025**

04– **ऑनलाईन आवेदन भरने की अंतिम तिथि – 31.07.2025**

05– **त्रुटि सुधार हेतु – 10.08.2025**

06– **परीक्षा शुल्क– अनारक्षित वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग – रू0 300–00**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग – रू0 200–00

07— **महत्वपूर्ण निर्देश—**

(1) आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है।

(2) अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ केवल गैर क्रीमीलेयर होने पर देय है। जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत मान्य किए जाने हेतु आवेदन करने की तिथि से पिछले 03 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ आय प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना चाहिए।

शासकीय सेवकों के पुत्र/पुत्री के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही की जावेगी, जिस हेतु अभ्यर्थी को दस्तावेज परीक्षण के समय अपने माता व पिता की सेवा में प्रथम नियुक्ति तथा पदोन्नति संबंधी समस्त आदेशों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करनी होगी ।

जिन अभ्यर्थियों के पिता की मृत्यु हो गई है उन्हें माता के नाम से जारी आय प्रमाण—पत्र तथा माता एवं पिता दोनों की मृत्यु हो गई है तो स्वयं अथवा अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करते हुए माता—पिता का मृत्यु प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

जिन अभ्यर्थियों के माता—पिता का तलाक हो चुका है उन्हें माता—पिता का तलाकनामा अथवा बिना तलाक के कई वर्षो से विलग है तो उस स्थिति में उन्हें माता—पिता विलग होने संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

विवाहित महिला अभ्यर्थी को अपने पिता के नाम से जारी आय प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

(3) न्यूनतम 03 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही आरक्षण का लाभ प्रदाय किया जायेगा। उन्हें जिला सेनानी से उक्ताशय का प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(4) छत्तीसगढ़ के मूल/स्थानीय निवासी भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो पद आरक्षित किए गए हैं वे पद ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं भूतपूर्व सैनिक हो (भूतपूर्व सैनिक पर आश्रित अभ्यर्थी मान्य नहीं होंगे) तथा जिन्होंने पूर्व में किसी शासकीय सेवा में नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ न लिया हो के लिए आरक्षित होंगे। ऐसे भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिये अभिवचन पत्र तथा मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। अभिवचन का नमूना निम्नानुसार है :—

अभिवचन (Undertaking) का प्रारूप

छ0ग0 अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा परीक्षा के विज्ञापन क्रमांक .... के अंतर्गत आवेदन पत्र विभाग को प्रस्तुत किया है तथा मै छत्तीसगढ़ निवासी भूतपूर्व सैनिक हूँ। अतः भूतपूर्व सैनिक के लिये आरक्षित पद के विरूद्ध मुझे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अंतर्गत मान्य किया जाये। भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण–पत्र संलग्न है।

मैंने पूर्व में शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया है।

हस्ताक्षर...

नाम...

नोट :– ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु पूर्व में भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त कर लिया हैं, उन्हें पुनः भूतपूर्व सैनिक को देय आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा।

टीप :– (i) भूतपूर्व सैनिक = थल सेना/जल सेना/वायु सेना

(ii) अर्ध सैनिक बल भूतपूर्व सैनिक के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे।

(5) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण खण्डवार सीधा आरक्षण है पात्र महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उस पद को उसी संवर्ग के पुरूष अभ्यर्थी से भरा जायेगा। यदि भूतपूर्व सैनिक एवं नगर सैनिक के आरक्षण संवर्ग में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो उन पदों को उस संवर्ग के अन्य उपलब्ध अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

(6) परिवीक्षा– चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जावेगी।

08– **चयन/भर्ती हेतु पात्रता** :– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्:–

(i) **शारीरिक अर्हता** :–

(क) पुरूष अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई – 168 से.मी. या अधिक।
महिला अभ्यर्थियों के लिए ऊँचाई– 153 से.मी. या अधिक ।

(ख) अभ्यर्थियों में किसी प्रकार की शारीरिक निःशक्तता नहीं होनी चाहिए।

(ग) सीना– बिना फुलाये 81 से.मी. फुलाने पर 86 से.मी.''अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिये बिना फुलाये 76 से.मी. फुलाने पर 81 से.मी.''

सीना फुलाने एवं बिना फुलाने में दोनों के बीच का अंतर न्यूनतम 5 से.मी. का होना चाहिए तथा इस संबंध में कोई छूट नही दी जायेगी। महिला अभ्यर्थी इस शारीरिक अर्हता/परीक्षा से मुक्त होगी ।

(घ) अभ्यर्थी के घुटनों को एक साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिये एवं पैर सपाट नही होना चाहिए। अभ्यर्थी को चिकित्सीय दृष्टि से योग्य होना चाहिए। अभ्यर्थी को दृष्टि से संबंधित कोई भी बीमारी/विकार नही होना चाहिये । चश्में के बिना एक आंख की दृष्टि 6/9 से कम नही होना चाहियें और दूसरी आंख की दृष्टि 6/12 से कम नही होनी चाहिए। अभ्यर्थी को सभी रंगों के लिये स्पष्ट दृष्यता होना चाहिये और वर्णांधता नही होनी चाहिये । अभ्यर्थी को किसी भी गंभीर बीमारी से ग्रस्त नही होना चाहिए। अभ्यर्थी को सुनने में समस्या नही होना चाहिये।

(ii) **शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता :—**

क्र.	पदनाम	शैक्षणिक एवं अन्य अर्हता
1	स्टेशन ऑफिसर (उप निरीक्षक)	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अग्निशमन में बी.एस.सी./बी.ई. की उपाधि या उसके समकक्ष
2	वाहन चालक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंस होना चाहिए
3	वाहन चालक कम ऑपरेटर	
4	फायर मेन	किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण
5	स्टोर कीपर	
6	मैकेनिक	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान/मान्यता प्राप्त संस्था से डीजल मैकेनिक ट्रेड में डिप्लोमा।
7	वाचरूम ऑपरेटर	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित नगर सैनिक
8	वायरलैस ऑपरेटर (संविदा)	(1) किसी मान्यता प्राप्त मंडल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण (2) प्रशिक्षित वायरलैस ऑपरेटर सहित नगर सैनिक होना चाहिए

(iii) **आयु :— अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2025 को 18 वर्ष से कम तथा 28 वर्ष से अधिक ना हो,** परन्तु छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र कमांक एफ 3—2/2015/1—3 नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 18.01.2024 द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट रहेगी ।

उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगीः—

(i) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गो (गैर—क्रीमी—लेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(ii) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा रह चुके हों, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तो के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी :—

(क) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नही होना चाहिए ।

(ख) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी/स्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समितियों में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी ।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी, जो ''छंटनी किया गया शासकीय सेवक'' हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गयी संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष तक की कालावधि भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गयी सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वहा उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

स्पष्टीकरण— शब्द 'छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो इस राज्य की या किसी भी संघटक इकाईयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अथवा आवेदन करने की तारीख से तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो ।

(घ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिकतम न हो ।

स्पष्टीकरण— शब्द ''भूतपूर्व सैनिक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति जो निम्नलिखित प्रवर्गो में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात् :—

(छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 13—2/2012/आ.प्र./1—3, दिनांक 12.03.2015 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को शासकीय सेवा में नियुक्ति के पूर्व किये गये आवेदनों में ही आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा । शासकीय सेवा में नियुक्ति के पश्चात् उनके द्वारा किए जाने वाले आवेदनों में उन्हें आरक्षण का लाभ प्राप्त नही होगा ।)

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो और जिन्हें —

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर,

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो,

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक,

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा अर्धसैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित है)

(पांच) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो।

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक योग्य नहीं है।

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(ड) विधवा, परित्यक्ता या तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष तक शिथिलनीय होगी ।

(च) अस्पृश्यता निवारण नियम,1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नि के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) शहीद राजीव पाण्डे सम्मान, गुण्डाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में 8 वर्ष की सीमा के अध्ययीन रहते हुए छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप :—

(1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (एक) के उप—खण्ड (घ) के पैरा (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने पश्चात् या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते है, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छटनी कर दी जाती हो, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी भी अन्य मामले ये आयु सीमाएं शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए, नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(3) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/ तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ अभिप्राप्त है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लेखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन छूट का लाभ प्राप्त करने के उपरांत अधिकतम आयु किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(4) उपरोक्त के अतिरिक्त, आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3—1/2016/1—3, नया रायपुर, दिनांक 11.01.2017 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की स्थानीय निवासी महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(iv) छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3—2/2002/1—3, रायपुर दिनांक 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जायेगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है । यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी ।

(v) **यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण—पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें :—**

(i) शासन की सेवा में कार्यरत अभ्यर्थियों को तत्संबंधी प्रमाण—पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।

(ii) विज्ञापन की कंडिका—08 (iii) की उप कंडिका—i एवं ii (क),(ख), (ग), (घ), (ज), (झ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए राज्य शासन के सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण—पत्र ।

(iii) विज्ञापन की कंडिका—08 (iii) की उप कंडिका—ii (ड) के अंतर्गत तलाकशुदा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट अथवा जिला मजिस्ट्रेट का प्रमाण—पत्र तथा विधवा महिला को उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए पति का मृत्यु प्रमाण—पत्र ।

(iv) विज्ञापन की कंडिका—08 (iii) की उप कंडिका—ii (च) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए जिला मजिस्ट्रेट/सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण—पत्र ।

(v) विज्ञापन की कंडिका—08 (iii) की उप कंडिका—ii (छ) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए "शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, महाराजा प्रवीरचन्द्र भंजदेव सम्मान तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार" प्राप्त होने का प्रमाण—पत्र ।

(vi) विज्ञापन की कंडिका—08 (iv) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी संविदा अनुभव का प्रमाण—पत्र ।

09— **चयन प्रक्रिया** —प्रतियोगी परीक्षा की चयन प्रक्रिया निम्नानुसार आयोजित की जायेगी:—

(i) **आवेदन पत्रों की छानबीन** :—आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त विहित मापदण्ड/अर्हताओ को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को प्रथम चरण (शारीरिक दक्षता परीक्षा) के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी।

(ii) **शारीरिक माप के लिये मापदण्ड** :—अभ्यर्थी की शारीरिक योग्यता, सरल क्रमांक 08 के उप क्रमांक (i) में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम मापदण्ड/योग्यता के अनुसार होनी चाहिए।

टीप — शारीरिक माप से संबंधित किसी विवाद के संबंध में जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(iii) **शारीरिक दक्षता परीक्षा** :— यह परीक्षा सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी।

(क) स्टेशन आफिसर उपनिरीक्षक की शारीरिक दक्षता परीक्षा कूल 300 अंको की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में कम से कम 30 प्रतिशत अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाऐं सम्मिलित होंगी :—

क्र.	मद (आयटम) पुरूष अभ्यर्थी	अंक्र.	मद (आयटम) महिला अभ्यर्थी	अंक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1—	**लम्बी कूद (तीन प्रयास)**	**60**	**लम्बी कूद (तीन प्रयास)**	**60**
	12 फिट (3.66 मीटर) तक	00	08 फिट (2.44 मीटर) तक	00
	14 फिट (4.27 मीटर)	12	10 फिट (3.05 मीटर)	12
	16 फिट (4.88 मीटर)	24	12 फिट (3.66 मीटर)	24
	17 फिट (5.18 मीटर)	36	13 फिट (3.96 मीटर)	36
	18 फिट (5.49 मीटर)	48	14 फिट (4.27 मीटर)	48
	19 फिट (5.79 मीटर) या अधिक	60	15 फिट (4.57 मीटर) या अधिक	60
2—	**ऊॅची कूद (तीन प्रयास)**	**60**	**ऊॅची कूद (तीन प्रयास)**	**60**
	04 फिट (1.22 मीटर) तक	00	03 फिट (0.91 मीटर) तक	00
	04 फिट 02 इंच (1.27 मीटर)	12	03 फिट 02 इंच (0.97 मीटर)	12
	04 फिट 04 इंच (1.32 मीटर)	24	03 फिट 04 इंच (1.02 मीटर)	24
	04 फिट 06 इंच (1.37 मीटर)	36	03 फिट 06 इंच (1.07 मीटर)	36
	04 फिट 06 इंच (1.42 मीटर)	48	03 फिट 08 इंच (1.12 मीटर)	48
	04 फिट 10 इंच (1.47 मीटर) या अधिक	60	03 फिट 10 इंच (1.17 मीटर) या अधिक	60
3—	**गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 16 पाउण्ड**	**60**	**गोला फेंक (तीन प्रयास) वजन 08 पाउण्ड**	**60**
	04 मीटर तक	00	04 मीटर तक	00
	05 मीटर	12	05 मीटर	12
	06 मीटर	24	06 मीटर	24
	07 मीटर	36	07 मीटर	36
	08 मीटर	48	08 मीटर	48
	09 मीटर या अधिक	60	09 मीटर या अधिक	60
4—	**100 मीटर दौड़**	**60**	**100 मीटर दौड़**	**60**
	12.5 सेकेण्ड या कम	60	14.5 सेकेण्ड या कम	60
	13.5 सेकेण्ड	48	15.5 सेकेण्ड	48
	14.5 सेकेण्ड	36	16.5 सेकेण्ड	36
	15.5 सेकेण्ड	24	17.5 सेकेण्ड	24
	16.5 सेकेण्ड	12	18.5 सेकेण्ड	12
	16.5 सेकेण्ड से अधिक	00	18.5 सेकेण्ड से अधिक	00
5—	**दौड़ 1500 मीटर**	**60**	**दौड़ 1500 मीटर**	**60**
	5 मिनिट	60	6 मिनिट	60
	5 मिनिट 10 सेकेण्ड	48	6 मिनिट 10 सेकेण्ड	48
	5 मिनिट 20 सेकेण्ड	36	6 मिनिट 20 सेकेण्ड	36
	5 मिनिट 30 सेकेण्ड	24	6 मिनिट 30 सेकेण्ड	24
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड	12	6 मिनिट 40 सेकेण्ड	12
	5 मिनिट 40 सेकेण्ड से अधिक	00	6 मिनिट 40 सेकेण्ड से अधिक	00

(ख) वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मेकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलेस आपरेटर संविदा पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। इस शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल 100 अंकों में से, सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक अर्जित करने होंगे, इसमें निम्नलिखित प्रतिस्पर्धाऐं सम्मिलित होंगी :–

दौड–100 मीटर–अधिकतम अंक–25

पुरूष–100 मीटर दौड़ 10 कि.ग्रा. वजन के साथ **महिला**–100 मीटर दौड़ 5 कि.ग्रा. वजन के साथ

पुरूष		महिला	
समय सेकेण्ड में	**अंक**	**समय सेकेण्ड में**	**अंक**
15 सेकेण्ड	25	15 सेकेण्ड	25
16 सेकेण्ड	20	16 सेकेण्ड	20
17 सेकेण्ड	15	17 सेकेण्ड	15
18 सेकेण्ड	10	18 सेकेण्ड	10
19 सेकेण्ड	05	19 सेकेण्ड	05
20 सेकेण्ड	00	20 सेकेण्ड	00

लंबी कूद–अधिकतम अंक–25

पुरूष		महिला	
लम्बाई	**अंक**	**लम्बाई**	**अंक**
03 मीटर से कम	00	02 मीटर से कम	00
03 मीटर 50 से.मी.	05	02 मीटर 50 से.मी.	05
03 मीटर 75 से.मी.	09	03 मीटर	09
04 मीटर	13	03 मीटर 25 से.मी.	13
04 मीटर 50 से.मी.	17	03 मीटर 75 से.मी.	17
05 मीटर	21	04 मीटर	21
05 मीटर 50 से.मी. से अधिक	25	04 मीटर 25 से.मी. से अधिक	25

गोला फेंक–अधिकतम अंक–25

पुरूष–गोला फेंक (वजन–16 पाउण्ड)

महिला–गोला फेंक (वजन–08 पाउण्ड)

पुरूष		महिला	
लम्बाई	अंक	लम्बाई	अंक
05 मीटर 50 से.मी. से कम	00	04 मीटर से कम	00
05 मीटर 50 से.मी.	05	04 मीटर	05
06 मीटर	09	04 मीटर 50 से.मी.	09
06 मीटर 50 से.मी.	13	05 मीटर	13
07 मीटर	17	06 मीटर	17
08 मीटर	21	07 मीटर	21
09 मीटर या अधिक	25	08 मीटर या अधिक	25

बीमबार–अधिकतम अंक–25

पुरूष–बीमबार

महिला–बीमबार

पुरूष		महिला	
संख्या	अंक	संख्या	अंक
12 बार	25	06 बार	25
10 बार	22	05 बार	22
08 बार	15	04 बार	15
06 बार	10	03 बार	10
05 बार	05	02 बार	05
04 बार या कम	00	01 बार या कम	00

(iv) **लिखित परीक्षा** :– लिखित परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी तथा परीक्षा की कुल अवधि दो घंटें की होगी । निम्नलिखित विषयों से संबंधित प्रश्नों को परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा :–

स. क्र.	चरण	कुल अंक	विषय	अनिवार्य प्राप्तांक
1	लिखित परीक्षा	100	विषय विशिष्ट, सामान्य ज्ञान / तार्किक / विश्लेषणात्मक तर्क	सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 40 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 30 अंक प्राप्त करना / अर्जित करना अनिवार्य होगा ।

वाहन चालक / वाहन चालक ऑपरेटर ट्रेड के अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी, इसके लिये कुल 100 अंक होंगे। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 अंक एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना / अर्जित करना होगा ।

10– **बोनस अंक** :–प्रत्येक अभ्यर्थी को 05 बोनस अंक दिया जायेगा, यदि यह नीचे उल्लिखित विशेष योग्यता धारण करता हो । किन्तु अभ्यर्थी को अधिकतम 10 बोनस अंक दिये जायेगे, भले ही अभ्यर्थी दो से अधिक विशेष योग्यता धारण करता हो। ये विशेष योग्यतायें है :–

(क) भारी मोटर वाहन चालन का लायसेंसधारी,

(ख) राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगिता में प्रवीणता। (केवल वे अखिल भारतीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता जिनका सीधा आयोजन उस खेलकूद के अखिल भारतीय संघ के अंतर्गत किया जाता है, वहां के केवल विजेता खिलाड़ियों को ही पात्रता होगी) ।

(ग) एन.सी.सी. ''सी'' प्रमाण पत्र धारी ।

टीप :– भारी मोटर वाहन चालक का लायसेंसधारी होने पर बोनस अंक वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर के पदों को छोड़कर शेष पदों हेतु प्रदाय किये जायेंगे।

11– **चयन सूची** :–स्टेशन ऑफिसर (उपनिरीक्षक) पद हेतु, शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 300, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 केवल पात्रतानुसार के आधार पर तथा शेष पदों यथा वाहन चालक, वाहन चालक कम आपरेटर, फायरमेन, स्टोरकीपर, मैकेनिक, वाचरूम आपरेटर एवं वायरलैस आपरेटर (संविदा) हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा अंक 100, लिखित परीक्षा अंक 100 एवं बोनस अंक 10 (केवल पात्रतानुसार) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी। बोनस के 10 अंक की गणना पृथक से की जायेगी। लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं बोनस अंको में प्राप्त कुल अंकों के आधार

पर मेरिट क्रम के आधार पर सूची तैयार की जायेगी। सर्वप्रथम, सभी वर्गो के अभ्यर्थियों में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जायेगी । इस सूची में आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग) के वे अभ्यर्थी भी सम्मिलित होंगे, जो मेरिट के आधार पर स्थान पाने के हकदार है एवं जो अनारक्षित पदों के लिए सभी मापदण्ड पूरा करते हैं। शेष अभ्यर्थियों में से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के आधार पर, उनके अपने—अपने जाति/श्रेणी प्रवर्गो के लिए विज्ञापित आरक्षित पदों के अनुसार पृथक—पृथक सूची तैयार की जायेगी ।

12— **चयन सूची का अनुमोदन** :— लिखित परीक्षा एक बार आयोजित होगी और चयन सूची अग्निशमन एवं आपातकालीन तथा राज्य आपदा मोचन बल मुख्यालय द्वारा विहित अनुसूची के अनुसार तैयार की जायेगी, चयन समिति समस्त आवश्यक अभिलेख महानिदेशक को अनुमोदन हेतु भेजेगी । अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा तथा राज्य आपदा मोचन बल, मुख्यालय द्वारा विहित कार्यक्रम के अनुसार सूची का परीक्षण, विचारण तथा जांच करने के पश्चात् अनुमोदन आदेश जारी किये जायेगें ।

13— **परीक्षा फीस (शुल्क)** :—

(क) अभ्यर्थी को समिति द्वारा विहित फीस (शुल्क) का भुगतान करना होगा।

(ख) चिकित्सा (स्वास्थ्य) परीक्षा फीसः— उन अभ्यार्थियों को जिन्हें किसी चिकित्सीय परीक्षा हेतु चिकित्सा मंडल के समक्ष उपस्थित होने के लिए अपेक्षित किया गया हो स्वास्थ्य परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व चिकित्सा मंडल के अध्यक्ष को ऐसी अपेक्षित चिकित्सा परीक्षा/टेस्ट फीस का भुगतान करना होगा जो शासन द्वारा समय—समय पर विहित की जाए।

14— **निरर्हता** — (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा में/चयन हेतु उपस्थित होने हेतु निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये।

परन्तु आपवादिक मामलों में अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक जांच, जैसा कि वह आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे नैतिक अधोपतन से संबंधित किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि किसी अभ्यर्थी के विरूद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हो, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा जब तक कि उस आपराधिक मामले का न्यायालय द्वारा अंतिम विनिश्चय न कर दिया जाए।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

15— अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा

(1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के बाद भी यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :—

01— छ0ग0 राज्य का मूल निवासी प्रमाण—पत्र ।

02— शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र

03— उच्चतर आयु में छूट प्राप्त करने के लिए वांछित प्रमाण पत्र ।

04— आरक्षण का लाभ करने के लिए जाति प्रमाण पत्र।

05— आय प्रमाण पत्र (गैर क्रीमीलेयर अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु)

06— भूतपूर्व सैनिकों / नगर सैनिकों के मामले में वांछित प्रमाण पत्र ।

07— बोनस अंक हेतु—01 हेवी व्हीकल ड्राईविंग लायसेंस 02 नेशनल स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट 03 एनसीसी—सी सर्टिफिकेट।

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिये की जाने वाली चयन प्रक्रियाऐं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668 / 2022 के अंतिम आदेश के अध्यधीन होगीं।

12.6.25

महानिदेशक
नगर सेना, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं
तथा एसडीआरएफ छत्तीसगढ़